

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा-13/ए.जी./2024/

दिनांक :

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/
अजमेर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर।

विषय:-राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, राजस्थान के संबंध में आय/व्यय की सूचना
उपलब्ध करवाने बाबत।

सन्दर्भ:-इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक लेखा-13/ए.जी./2024/3040 दिनांक 07.11.2024, 3139
दिनांक 25.11.2024 एवं 3415 दिनांक 13.12.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, राजस्थान के आय-व्यय के लेखों की सूचना 07 दिवस में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। चाही गयी सूचना आदिनांक तक अपेक्षित है। जो कि राजकीय कार्य के प्रति आपकी उदासीनता को दृशाता है। प्रकरण की गम्भीरता को समझते हुए अपने अधिनस्थ कार्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्धारित प्रपत्र में चाही गयी सूचना 07 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा नियमानुसार आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :लेखा-13/ए.जी./2024/ 79

दिनांक : 7/1/25

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/उप जिला चिकित्सालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा चाही गयी सूचना निर्धारित प्रारूप में तैयार कर 07 दिवस में कार्यालय संयुक्त निदेशक को प्रेषित करें।
2. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।